2022/3 12/3/22

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
प्रार्थना पत्र	18/2022	31-1-22	सरदार नगर	फैसल 20/5/22		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:51 IST
Reason: SelfAttested

श्री डूगमा S/o जगन्नाथ जाट निवासी सरदार नगर वर्सु० बनाम देवी S/o हजारी जाट निवासी सरदार नगर वर्सु०

निगराकार / प्रार्थी / अपी. अप्रार्थी / रेस्पो.

तारीख हुक्म 18 /2022	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2022	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट **सरदारनगर** पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थीगण** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थीगण** द्वारा ग्राम **सरदारनगर** जमाबंदी संवत् **2073 से 2076** तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी/सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थीगण** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। **आराजी नम्बर 2670 रकबा 0.2150 है0 किस्म क्रमशः गेमु पाल होने से प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा Signature Not Verified Digitally signed by Anshul Singh Date: 2022.05.27 16:20:51 IST Reason: SelfAttested	

प्रशासन गांवों के संग फोलो अप केम्प सरदानगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 18 /2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– उगमा पुत्र जगन्नाथ जाट निवासी सरदारनगर
2– जाकिरहुसैन, बरकतअली पुत्र इमामुदीन मंसूरी निवासी सरदारनगर
4– सांवरमल पुत्र नन्दा जाट निवासी सरदारनगर
5–6 कन्हैयालाल, चान्दु पुत्र रामसुख जाट निवासी सरदारनगर
7–छाउ पुत्री रामसुख जाट निवासी सरदारनगर
8– बद्रीलाल पुत्र रामसुख जाट निवासी सरदारनगर
9– शान्ता पुत्री रामसुख जाट निवासी सरदारनगर

–प्रार्थीगण

बनाम

1– देबी पुत्र हजारी जाट निवासी सरदारनगर
2– उदा पुत्र धन्ना जाट निवासी सरदारनगर
3– मांगु पुत्र इमामुदीन मंसूरी निवासी सरदारनगर
4– भंवर पुत्र छोगा प्रजापत निवासी सरदारनगर
5– रामसुख पुत्र बद्री धोबी निवासी सरदारनगर
6– धन्ना पुत्र बालु धोबी निवासी सरदारनगर
7–8 मांगु बरदु पुत्र अर्जुन धोबी निवासी सरदारनगर
9– स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारनगर
10– तहसीलदार बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 20/05/2022

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **सरदारनगर** तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **1253 रकबा 0.0632 है0, 2664 रकबा 0.6829 है0, 2665 रकबा 0.0632 है0, 2666 रकबा 0.0759 है0, 2667 रकबा 0.2150 है0, 2669 रकबा 0.3667 है0, 2670 रकबा 0.2150 है0** कुल **किता 7** रकबा **1.6819 है0** के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी [illegible] दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थीगण** अपने खेत की [illegible] भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा** में स्थित **आराजी नम्बर 1253 रकबा 0.0632 है0, 2664 रकबा 0.6829 है0, 2665 रकबा 0.0632 है0, 2666 रकबा 0.0759 है0, 2667 रकबा 0.2150 है0, 2669 रकबा 0.3667 है0, 2670 रकबा 0.2150 है0 कुल किता 7 रकबा 1.6819 है0** भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातदोरी है। **प्रार्थीगण** अपने

खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत **आंकिश स्वीकार** किया जाकर मौजा **सरदारनगर** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 2670 रकबा 0.2150 है0 किस्म क्रमशः गेमु पाल होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष आराजी किता 6 रकबा 1.4669** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** को **1000/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः तहसीलदार बनेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक **20/05/2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **सरदारनगर** पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियम पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा